सेवा में,

श्रीमान डी. जी. पी साहब, झारखण्ड, राँची गिरिडीह |

विषय :- झुठे मुकदमें में फंसाने के संबंध में |

महाशय,

सादर निवेदन है कि नारायण मंडल, उम्र 53 वर्ष पिता श्री सहदेव मंडल साकिन परियाना, पंचायत

पिण्डाटांड, थाना पचम्बा जिला गिरिडीह का निवासी हूँ, कि पचम्बा थाना कांड संख्या 66/23 में सूचक दामोदर मंडल

द्वारा झूठा मुकदमा में फंसाये है, जो सरासर गलत है, सूचक ने मेरी जमीन मौजा परियाना खाता नम्बर 32 कुल रकवा

3.16 डी. मेरे परदादा नन्हकु सुन्दी वगैरह के नाम से खरीदगी है तब से मै जोत अवाद करते चला आ रहा हूँ, जो मेरे ही

गॉव दामोदर मंडल पिता स्व. भीम मंडल (2) खुशरू महतो पिता स्व. हूरो महतो (3) डिप्टी यादव पिता स्व. प्रीतम

महतो सभी सकिनान परियाना एवं (4) उमेश तुरी पिता श्री हाडी तुरी साकिन सुग्गासार सभी थाना पच्मबा जिला

गिरिडीह के है जो सभी ने जान मारने के नियत से लाठी, तलवार, भला, रड लेकर आये और मेरी जमीन पर जे. सी.

बी. से करीब 10 बजे रात्री में ही जमीन को समतल करने लगे, जो मैं तथा मेरे पिता द्वारा विरोध करने पर काभी

गाली – गलौज करने लगे तथा जान मारने के नियत से सभी अभियुक्तों ने अंधा – धुंध मारने लगे जिससे मेरे पिता को

मार कर बांया हाँथ तोड़ दिया, जिसकी सुचना मैं थाना प्रभारी पचम्बा, गिरिडीह को लिखित आवेदन देने गया तो

मुझे ही पकड़ कर जेल भेज दिया, जो थाना प्रभारी द्वारा कोई इंसाफ नही किये |

अत : श्रीमान् से प्रार्थना है कि इसे अपने स्तर से जाँच कर उचित

आदेश देने की कृपा की जाय | इस कार्य के लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी बना रहूँगा |

श्रीमान का विशवाशी

नारायण मंडल पिता सहदेव मंडल

ग्राम – परियाना, थाना – पचम्बा, जिला – गिरिडीह

झारखण्ड - 815316